कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) 2713551
election09@gmail.com फोन न0 (0135) 2713552

संख्या–296 /XXV–12(9) /2018 देहरादून : दिनांक 28 फरवरी, 2020

सेवा में,

श्री कमलेश कुमार,
पुत्र स्व0 श्री प्रकाश चन्द्र आर्या,
ग्राम हल्दूचौड़ परमा, पोस्ट–हल्दूचौड़,
तहसील लालकुऑं, जिला नैनीताल।
मो0 नं0– 9971021353

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या– 78/78–मु.स./सू.अ./2020 दिनांक 24 फरवरी 2020 के साथ आपका अनुरोध पत्र दिनांक 08/02/2020 जो इस कार्यालय में दिनांक 25 फरवरी 2020 को प्राप्त हुआ है, के सम्बन्ध में इस कार्यालय से सम्बन्धित विन्दु संख्या–3 से सम्बन्धित सूचना 03(तीन) प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

अपीलीय अधिकारी का पता–

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून– 248001,

भवदीय,

B.S. Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

पृ0संख्या 296 /XXV–12(9)/2008, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि– लोक सूचना अधिकारी/प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को उनके उक्त पत्र दिनांक 24 फरवरी 2020 केक्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

B.S. Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

क्रम संख्या–189

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/2006–08

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 28 दिसम्बर, 2006 ई०

पौष 07, 1928 शक सम्वत्

भारत परिसीमन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

संख्या 282/यू टी ए/2006

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2006

अधिसूचना

परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10 की उप धारा (1) के अनुसरण मे, उत्तरांचल राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन के सबंध में अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 9 की उप धारा (2) के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा बनाये गये निम्नलिखित आदेश इसके द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं :–

आदेश सं0 – 35

यतः, परिसीमन संशोधन अधिनियम, 2003 (2004 का 3) द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 8 तथा 4 के अनुसरण में भारत के राजपत्र और उत्तरांचल राज्य के राजपत्र के दिनांक 4 सितम्बर, 2006 के असाधारण अंक में प्रकाशित, अपने दिनांक 4 सितम्बर, 2006 के आदेश सं0 29 द्वारा परिसीमन आयोग ने निर्धारित किया है कि (i) उत्तरांचल राज्य में लोक सभा के लिए आवंटित किये जाने वाले

50–रानीखेत	1–भिकियासेन तहसील का 2–माचोर कानूनगो सर्किल, 1–भिकियासेन कानूनगो सर्किल की 1–भिकियासेन, 2–डोब, 3–बौली, 4–सिंगोली, 5–बतुला, 6–बिनौली, 7–सनारा और 8–बंगोरा पटवारी सर्किलें; 2–रानीखेत तहसील की 2–तारीखेत, 3–जलाली कानूनगो सकिलें, 1–रानीखेत कानूनगो सर्किल की 1–रानीखेत सदर, 2–पन्तकोटुली, 3–करचुली पटवारी सर्किलें और रानीखेत (कैन्टोनमेन्ट बोर्ड) ।
51–सोमेश्वर (अ0जा0)	6–सोमेश्वर तहसील; 2–रानीखेत तहसील में 1–रानीखेत कानूनगो सर्किल की 4–चौकुनी, 5–दुगौड़ा, 6–पाखुड़ा, 7–सूरी, 8–गड़श्यारी, 9–शहारौं, 10–कुनवाली, 11–नैणी, 12–रियूनी, 13–मल्ली रियूनी और 14–डीडा पटवारी सर्किलें; 3–अल्मोड़ा तहसील में 1–हवालबाग कानूनगो सर्किल की 3–दौलाघट, 4–खौड़ी, 5–गोबिन्दपुर, 6–काटारमल, 7–क्वैराली, 8–कठपुड़िया और 9–शीतलाखेत पटवारी सर्किलें ।
52–अल्मोड़ा	3–अल्मोड़ा तहसील का 2–अल्मोड़ा कानूनगो सर्किल, 3–पनुवानौला कानूनगो सर्किल की 1–लिंगुणता, 2–त्रिनैली, 3–न्योली, 4–पल्यों पटवारी सर्किलें, 1–हवालबाग कानूनगो सर्किल की 1–हवालबाग, 2–पाखुड़ा, 10–सैन्ज, 11–डोबा, 12–खुंट, 13–धामस, 14–ज्योली पटवारी सर्किलें; अल्मोड़ा म्युनिसिपल बोर्ड और अल्मोड़ा कैन्टोनमेन्ट बोर्ड ।
53–जागेश्वर	8–जैंती तहसील; 9–भनोली तहसील 3–अल्मोड़ा तहसील का 4–लमगढ़ा कानूनगो सर्किल और 3–पनुवानौला कानूनगो सर्किल का 5–तोली पटवारी सर्किल ।
	जिला – चम्पावत
54–लोहाघाट	3–पाटी तहसील; 4–लोहाघाट तहसील और 5–बाराकोट उप–तहसील ।
55–चम्पावत	1–चम्पावत तहसील और 2–श्री पुर्णागिरी तहसील ।
	जिला – नैनीताल
56–लालकुवां	6–लालकुवां तहसील; 5–हल्द्वानी तहसील का काठगोदाम कानूनगो सर्किल और लालकुवां कानूनगो सर्किल का 60–अर्जुनपुर पटवारी सर्किल ।
57–भीमताल	4–धारी तहसील; 3–नैनीताल तहसील का रामगढ़ कानूनगो सर्किल, भीमताल कानूनगो सर्किल की 26–चांफी, 27–पान्डेगॉव, 28–पूर्व छखाता, 29–सौसिल, 54–पिनरॉन पटवारी सर्किलें और भीमताल नगर पालिका ।
58–नैनीताल (अ0जा0)	1–बेतालघाट तहसील; 2–कोश्यां कुटोली तहसील; 3–नैनीताल तहसील में भीमताल कानूनगो सर्किल की 24–भवाली, 25–पश्चिम छखाता पटवारी सर्किलें, बगड़ कानूनगो सर्किल की 31–खुर्पाताल, 32–मंगोली, 33–बगड़, 34–स्यात, 35–तल्लाकोटा, 36–सौढ़, 37–अमगढ़ी पटवारी सर्किलें, वन क्षेत्र, नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड, नैनीताल कैन्टोनमेन्ट बोर्ड और भोवाली म्युनिसिपल बोर्ड ।

(3)

59–हल्द्वानी	5–हल्द्वानी तहसील में हल्द्वानी–एवं–काठगोदाम, (म्युनिसिपल बोर्ड + बाह्य विकास) के वार्ड सं0 1 से 25, दमुवाढूंगा बन्दोबस्ती (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 26, कोर्ता (चानमारी मोहल्ला) (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 27, ब्युरा (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 28, बामोरी मल्ली (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 29, बामोरी तल्ली बन्दोबस्ती अमरावती कॉलोनी, शक्ति विहार, भट्ट कॉलोनी (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 30 और बामोरी तल्ली खान (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 31 ।
60–कालाढूँगी	7–कालाढूँगी तहसील; 3–नैनीताल तहसील में बगड़ कानूनगो सर्किल का 30–चौपड़ा पटवारी सर्किल; 5–हल्द्वानी तहसील में हल्द्वानी कानूनगो सर्किल की 63–हल्द्वानी खास, 66–लामाचौड़, 67–फतेहपुर, 68–भगवानपुर, 69–कामुलुवागान्जा, 71–लोहारियाशाल, 73–देवालचौर, 74–कुसुमखेड़ा पटवारी सर्किलें, लालकुवां कानूनगो सर्किल की 70–चान्दनीचौक, 75–आनन्दपुर पटवारी सर्किलें, हल्द्वानी एवं काठगोदाम (म्युनिसिपल बोर्ड + बाह्य विकास) के मुखानी (रूपनगर, बसन्त विहार कॉलोनी तथा वकीलों का जजस फार्म) (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 32, मानपुर उत्तर (पालिका यातायात नगर) (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 33, हरीपुर सरवा (वैन कैन्सर
	अस्पताल) (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 34, हल्द्वानी तल्ली (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 35, गोजाजाल्ली उत्तर (शिशु भारतीय विद्या मन्दिर) (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 36, कुसुम खेरा (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 37, बिठौरिया नं0–1 (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 38 और वन क्षेत्र ।
61–रामनगर	8–रामनगर तहसील ।
	जिला – उधमसिंह नगर
62–जसपुर	5–जसपुर तहसील; 4–काशीपुर तहसील का 1–कुण्डा कानूनगो सर्किल।
63–काशीपुर	4–काशीपुर तहसील में 2–पैंगा कानूनगो सर्किल की 3–पैंगा, 6–खोखराताल, 7–बांसखेड़ा, 8–बसई पटवारी सर्किलें, 3–काशीपुर कानूनगो सर्किल की 10–महेशपुरा, 11–धनौरी पट्टी, 12–गोपीपुरा, 13–गंगापुर गुसांई, 14–मानपुर पटवारी सर्किलें, काशीपुर म्युनिसिपल बोर्ड और रामनगर वन क्षेत्र ।
64–बाजपुर (अ0जा0)	4–काशीपुर तहसील में 2–पैंगा कानूनगो सर्किल की 2–रजपुरानी रानी, 4–बरखेड़ा पाण्डे, 5–दभौरा पटवारी सर्किलें, 3–काशीपुर कानूनगो सर्किल की 9–ढकियाकलां, 15–प्रतापपुर, 16–कुन्डेश्वरी पटवारी सर्किलें और महुवाखेड़ागंज टी.ए.सी.; 6–बाजपुर तहसील में 1–बाजपुर–I कानूनगो सर्किल की 3–महोली जंगल, 4–हजीरा, 5–बरहैनी, 6–हरीपुरा, 7–बैरिया दौलत, 8–भजुवानगला पटवारी सर्किलें, 2–बाजपुर–II कानूनगो सर्किल की 12–गुलजारपुर, 13–रम्पुराशाकर, 14–सुल्तानपुर, 15–फरीदपुर, 16–विकमपुर, 17–जोगीपुरा, 18–बिराहा, 20–महेशपुरा, 21–खुशालपुर, 22–रतनपुर, 23–बंतखेड़ी पटवारी सर्किलें, क–म्युनिसिपल बोर्ड बाजपुर, सुल्तानपुर टी.ए.सी. और बन्ना खेड़ा वन क्षेत्र ।

2 ~~~~ 25-2-2020
56

सूचना का अधिकार

धारा6(3)
लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय
4 बी, सुभाष रोड़, देहरादून
उत्तराखण्ड शासन।
दूरभाष– 0135–2712100/2712200

पत्र संख्याः 78/78–मु.स./सू.अ./2020 दिनांकः 24 फरवरी, 2020

लोक सूचना अधिकारी,
ग्राम्य विकास विभाग/निर्वाचन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

आवेदक का दिनांक **08.02.2020** का संलग्न सूचना का अनुरोध पत्र, जो लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, सचिवालय, देहरादून में दिनांक **20.02.2020** को प्राप्त हुआ है, आपको मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि इसमें मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।
संलग्नः यथोक्त।

(पी0सी0 उपाध्याय)
लोक सूचना अधिकारी

पृष्ठांकनः /नि.स.–मु.स./सू.अ./2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–श्री कमलेश कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रकाश चन्द्र आर्या, ग्रा0–हल्दूचौड़ परमा, पो0–हल्दूचौड़, तह0–लालकुआँ, जिला–नैनीताल–263142 को सूचनार्थ। आप द्वारा मांगी गई सूचना इस कार्यालय में धारित न होने तथा सूचना कदाचित ग्राम्य विकास विभाग/निर्वाचन विभाग से संबंधित होने के कारण आपका आवेदन पत्र संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जा रहा है। **यदि ग्राम्य विकास विभाग/निर्वाचन विभाग से सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा उनके द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट न हों, तो कृपया ग्राम्य विकास विभाग/निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रेषित करने का कष्ट करें।**

2. मुख्य लेखाधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संलग्न पोस्टल आर्डर सं0 46एफ 276431 (रू0 10/–) को राजकोष में जमा कराने का कष्ट करें।

(पी0सी0उपाध्याय)
लोक सूचना अधिकारी/प्रमुख निजी सचिव,
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

श्रीमान मुख्य सचिव महोदय/लोक सूचना अधिकारी महोदय,
सचिवालय भवन, उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

महोदय,

प्रार्थी उपरोक्त आवेदन पत्र के साथ रू0 10/– का भारतीय पोस्टल ऑर्डर नं0 **46F 276431** दिनाँक **24.01.2020** मूलरूप में आवेदन शुल्क संलग्न कर रहा है, प्रार्थी को निम्न बिन्दुओं पर अभिलेखीय सूचना से सम्बन्धित अभिलेख देने की कृपा करेंगेः–

1. उत्तराखण्ड राज्य में विधायक निधि के अन्तर्गत माननीय विधायकों को धनराशि का आवंटन विकास कार्यों हेतु किस शासनादेश/नियमावली के अन्तर्गत किया जाता है। सम्बन्धित शासनादेश/नियमावली की प्रमाणित अभिलेखीय छायाप्रति देने की कृपा करेंगे।
2. उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003 से वित्तीय वर्ष 2019–2020 (जनवरी–2020 तक) कितनी धनराशि माननीय विधायको को विकास कार्य हेतु उनके क्षेत्रों को आंवटित हुई है। सम्बन्धित अभिलेख वित्तीय वर्ष 2003 से वित्तीय वर्ष 2019–2020 (जनवरी–2020 तक) के विवरण देने की कृपा करेगें।
3. उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत जिला नैनीताल में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सम्बन्धित विवरण की अभिलेखीय छायाप्रति देने की कृपा करेंगे।
4. उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत जिला नैनीताल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–2020 में आज तक कुल कितनी धनराशि किस मद में आवंटित कर खर्च की गई। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–2020 में जिला नैनीताल के अन्तर्गत खर्च की गई धनराशि का विवरण देने की कृपा करेंगे।
5. विधायक निधि के अन्तर्गत की गई आवंटित धनराशि को विकास कार्य में खर्च/व्यय करने के लिये दिशा–निर्देश से सम्बन्धित शासनादेशों के प्रति देने की कृपा करेंगे।
6. विधायक निधि के अन्तर्गत विकास कार्यों में आवंटित धनराशि को व्यय करने के लिये procurement नियमावली लागू होती है अथवा नहीं। सम्बन्धित शासनादेश तथा procurement नियमावली, जो

उत्तराखण्ड राज्य में प्रचलित हैं कि प्रमाणित प्रतिलिपि देने की कृपा करेंगे।

महोदय उपरोक्त सूचनायें क्रम संख्या 1 से 6 तक आपके कार्यालय से सम्बन्धित है, तथा सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के प्राविधानों अन्तर्गत दिये जाने से प्रतिबन्धित नहीं है। अतः सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलखों की प्रमाणित प्रतिलिपि अपने स्तर से अथवा धारा 6(3) के अन्तर्गत देने की कृपा करेंगे।

दिनाँकः 08 / 02 / 2020।

प्रार्थी

Kamlesh

कमलेश कुमार

पुत्र स्व0 श्री प्रकाश चन्द्र आर्या

ग्राम हल्दूचौड़ परमा, पोस्ट– हल्दूचौड़,

तहसील लालकुआँ, जिला नैनीताल।

मो0 नं0 9971021353